क्रम संख्या–68

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 07 अप्रैल, 2015 ई0

चैत्र 17, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 108/XXXVI(3)/2015/26(1)/2015

देहरादून, 07 अप्रैल, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 2015"** पर दिनांक 06 अप्रैल, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 18 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 2015

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2015)

चिकित्सा सेवाओं की कतिपय श्रेणियों के लिये एक चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना और उससे सम्बद्ध और अनुषांगिक विषयों की व्यवस्था के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 2015 है।

(2) यह राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना जारी किये जाने की तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

लागू होना 2. इस अधिनियम के उपबन्ध लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले चिकित्सा अधिकारी के समूह "ख" के समस्त पदों तथा प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व चिकित्सा शिक्षा तथा मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज स्कूलों के पदों पर लागू होंगे। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा चिकित्सा सेवा के पैरामेडिकल पदों को भी बोर्ड की परिधि में रख सकती है अथवा हटा सकती है।

परिभाषाएं 3. जब तक कि संदर्भ के अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में –

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से चिकित्सा सेवा या पद के सम्बन्ध में, ऐसी सेवा में या पद पर नियुक्ति करने के लिये सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से धारा 4 के अधीन गठित उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "समूह 'ख' के पद" से राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा सेवा में समय–समय पर इस रूप में विनिर्दिष्ट पद अभिप्रेत है;

(ड.) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी सम्मिलित है,

(च) "सचिव" से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है;

(छ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलेण्डर वर्ष पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

अध्याय– दो

बोर्ड की स्थापना

बोर्ड की स्थापना

4. ऐसे दिनांक से, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत किया जाय एक बोर्ड स्थापित किया जायेगा जो उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के ज्ञात नाम से जाना जायेगा।

बोर्ड की संरचना

5. (1) बोर्ड में एक अध्यक्ष और दो से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर नियुक्त करे।

परन्तु यह कि कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होगा किन्तु अपनी पदावधि के पश्चात सदस्य या अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति या पद पर बने रहने के लिये पात्र नहीं होगा।

(2) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाय या यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो ऐसे कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति जब तक कि उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति पद ग्रहण न कर ले या, जब तक कि अध्यक्ष अपना कार्यभार पुनः ग्रहण न कर लें, ऐसे सदस्य द्वारा किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करें।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति

6. अध्यक्ष और अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे;

(1) अध्यक्ष की नियुक्ति चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर पर ख्याति प्राप्त व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(2) चयन बोर्ड में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड को पदेन सदस्य होंगे।

(3) चयन बोर्ड में चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र से 4 से 5 विशेषज्ञों को यथावश्यकता सहयोगित सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा।

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की शक्तियां और कर्तव्य

7. (1) अध्यक्ष बोर्ड के प्रशासन का प्रभारी होगा और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी–

(क) एक या अधिक सदस्यों सहित या उनके बिना सदस्यों में से समितियों या उप समितियों का गठन करना;

(ख) सदस्यों, समितियों और उप–समितियों को ऐसा कार्य आवंटित करना जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से आवंटित न किया गया हो।

(ग) बोर्ड और उसके सदस्यों के कार्य का समन्वय करना।

(घ) सदस्यों और बोर्ड के अधिकारियों को अवकाश स्वीकृत करना और उनके दौरे के कार्यक्रम को अनुमोदित करना।

(2) सदस्यगण, अभ्यर्थियों की परीक्षाओं और साक्षात्कारों के संचालन में अध्यक्ष की सहायता करेंगे और ऐसे अन्य कार्य करेंगे जो उन्हें इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के द्वारा या उसके अधीनस्थ अध्यक्ष द्वारा उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आवंटित किये जायें।

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें 8. (1) अध्यक्ष या प्रत्येक सदस्य अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छः वर्ष के लिये पद धारण करेगा;

परन्तु यह कि कोई सदस्य जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है, सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात या छः वर्ष का अपना कार्यकाल पूर्ण कर लेने पर, जो भी पहले हो, इस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) अध्यक्ष या अन्य सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकता है।

(3) अध्यक्ष या अन्य सदस्य को इस आधार पर कि उसने धारा 10 में विनिर्दिष्ट कोई अनर्हता प्राप्त कर ली है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीन द्वारा यथाविहित रीति में की गई जांच जिसमें कि ऐसे सदस्य को उसके विरूद्व लगाये गये आरोप सूचित किये गये हों और उन आरोपों के सम्बन्ध में उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अंवसर भी दिया गया हो, के पश्चात कदाचार यां असमर्थता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है।

(4) अध्यक्ष एवं सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तें तथा अन्य निबन्धन एवं सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि विहित किया जाए।

अध्यक्ष या अन्य सदस्य के लिये अनर्हता 9. अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति अनर्ह हों जायेगा यदि वह –

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाये;

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता हो, दोष सिद्व हो और कारावास की सजा दी गयी हो;

(ग) अस्वस्था मस्तिष्क का हो गया हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो।

सहयुक्त करने की शक्ति 10. बोर्ड अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो इस अधिनियम के अधीन बनाय गये विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों को कार्यान्वित करने के लियें लेना चाहें।

बोर्ड की कार्यवाहियों का अवधिमान्य न होना 11. बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि–

(क) बोर्ड के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है;

(ख) अध्यक्ष या उसके अन्य सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है, या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जिसका कोई तात्विक प्रभाव नहीं पड़ता है।

बोर्ड का सचिव

12. (1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया बोर्ड का एक सचिव होगा जो बोर्ड के कार्यालय का प्रधान होगा।

(2) सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किये जायें या जैसा अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाये।

बोर्ड के आदेशों का अधिप्रमाणीकरण

13. बोर्ड के सभी विनिश्चय और आदेश सचिव या इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

अध्याय–तीन

बोर्ड की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य का आवंटन

बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य

14. (1) बोर्ड की निम्नलिखित और कर्तव्य होंगे, अर्थात–

(क) भर्ती की रीति से सम्बन्धित विषयों पर मार्ग–दर्शक सिद्धान्त तैयार करना;

(ख) परीक्षाएं संचालित करना, साक्षात्कार करना और अभ्यर्थियों का चयन करना।

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये विशेषज्ञों का चयन और उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना।

(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जैसी विहित की जायें।

(2) बोर्ड उपधारा (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने या कर्तव्यों का पालन करने में ऐसे नियमों और विनियमों द्वारा जैसे इस निमित्त बनाये जायें, मार्गदर्शित होगा।

बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कार्य

15. बोर्ड अपना कार्य जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष या अन्य सदस्यों या उसकी किसी समिति द्वारा अपने कृत्यों का सम्पादन करना भी है, सुविधा से करने के लिये राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियम बनायेगा और ऐसे विनियमों के अनुसार किया गया कार्य बोर्ड द्वारा किया गया कार्य समझा जायेगा:

परन्तु यह कि राज्य सरकार के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे विनियम को मूल या उपान्तरित रूप में अपना अनुमोदन दें।

अध्याय–चार

रिक्तियों का अधिसूचित किया जाना और नियुक्तियां

रिक्तियों का अधिसूचित किया जाना

16. (1) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान बोर्ड के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और इस निमित्त तत्सम प्रवृत्त विधि के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और

अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना बोर्ड को देगा।

(2) रिक्तियों ऐसी रीति से बोर्ड को अधिसूचित की जायेगी जैसी विहित की जाय।

बोर्ड द्वारा चयन

17. (1) बोर्ड धारा 16 के अधीन रिक्तियों की सूचना के पश्चात यथासम्भव शीघ्र परीक्षा आयोजित करेगा या साक्षात्कार करेगा या दोनों ही करेगा और उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की एक सूची विहित रीति से तैयार करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी और नियुक्ति प्राधिकारी इस प्रकार भेजी गयी सूची से उसमें उल्लिखित क्रम में नियुक्तियां करेगा।

अध्याय–पांच

बोर्ड के समक्ष कार्य

बैठक में निर्णय

18. बोर्ड की किसी बैठक ने सभी मामलों का अवधारण उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

गणपूर्ति

19. बोर्ड की किसी बैठक के लिये सदस्यों की कुल संख्या के आधे से गणपूर्ति होगी:

परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गयी किसी बैठक के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

अध्याय–छः

वार्षिक रिपोर्ट

वार्षिक रिपोर्ट

20. बोर्ड प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें गत वर्ष के कार्यकलाप का सही और पूरा विवरण दिया जायेगा और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेगी और राज्य सरकार उसे राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय–सात

प्रकीर्ण

नियम बनाने की शक्ति

21. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

विनियम बनाने की शक्ति

22. (1) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में जिसके अन्तर्गत इस विधेयक के अधीन चयन करने के लिये परीक्षायें आयोजित करने या साक्षात्कार करने या दोनों के लिये फीस लेना भी है, विनियम बना सकती है या उन्हें संशोधित कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम का अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत नही होंगे।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण	23.	किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशायित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।
निर्देश जारी करने की शक्ति	24.	राज्य सरकार समय–समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जो इस अधिनियम से असंगत न हों।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 108/XXXVI(3)/2015/26(1)/2015
Dated Dehradun , April 07, 2015

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand Medical Service Selection Board Bill, 2015"** (Adhiniyam Sankhya 18 of 2015).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 06 April, 2015.